न्यायालय अरूण कुमार सिन्हा, अपर सत्र न्यायाधीश–IV मुजफ्फरपुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1315/2026

पारू थाना कांड संख्या–27/2026

मिट्ठु कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य

==========

1. मिट्ठु कुमार, पिता–सहवीर राम, उम्र 21 वर्ष

2. प्रमिला देवी, पत्नी–सहवीर राम, उम्र–46 वर्ष

साकिन–उस्ती सिंघाई, थाना–पारू, जिला–मुजफ्फरपुर

.....आवेदकगण।

बनाम

राज्य .....विपक्षी।

अभियुक्तगण की ओर से–श्री ओम प्रकाश सिंह, प्रकाश (विद्वान अधिवक्ता)

अभियोजन की ओर से–श्री विकास नारायण सिन्हा (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

==========

आदेश

25.05.2026 1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण मिट्ठु कुमार एवं प्रमिला देवी की ओर से पारू थाना कांड संख्या–27/2026 अंतर्गत धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक को प्रदान की जा चुकी है। अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

2. आवेदक की ओर से दाखिल शपथ पत्र समर्थित जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से कोई अग्रिम/नियमित जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक सं0–2 एवं आवेदक सं0–1 मृतिका की कमशः सास एवं देवर हैं। वह बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन का सम्पूर्ण कथन मिथ्या है और आवेदकगण मृतिका से अलग रहते थे। मृतिका की मृत्यु अचानक हर्ट अटैक से हुई है। मृतिका का पति न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेंगे। आगे उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक धारा–482(2) सी0आर0पी0सी0 के शर्तों का पालन करने को तैयार है। उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि आवेदकगण सूचक की बहन को मारपीट कर घर से गायब करने का अभियोग है तथा आवेदकगण के जमानत आवेदनानुसार सूचक के बहन की मृत्यु हो

लगातार
25.05.2026

गई है तथा उसकी मृत्यु वैवाहिक जीवन के सात वर्षों के अन्दर होना जमानत आवेदन में स्वीकृत किया गया है। अभियोग की प्रकृति गंभीर है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

4. सूचक सुबोध राय के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि सूचक की बहन सोनम कुमारी की शादी दिनांक 20.04.2026 को सहवीर राम के बेटे गोलू कुमार, ग्राम–उस्ती सिंगाही, थाना–पारू, जिला–मुजफ्फरपुर के साथ हुई थी। उसके परिवार के गोलू कुमार, प्रमिला देवी एवं मिट्ठु कुमार मिलकर उसकी बहन के साथ मारपीट कर अपने घर से गायब कर दिये। दिनांक 13.01.2026 को जब वह अपनी बहन से मिलने गये तो उसकी बहन वहां पर नहीं थी। पूछताछ पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसलिये उसे शंका है कि उसकी बहन के साथ कहीं कोई घटना तो नहीं हो गई।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का सारगर्भित बहस सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण प्राथमिकी में नामित हैं। प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्ध सूचक की बहन के साथ मारपीट कर घर से गायब करने का अभियोग है तथा सूचक की बहन की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। कांड दैनिकी के पारा–2 में वादी सुबोध राम ने अपने पुनःबयान में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है। कंडिका–3 एवं 4 में विभिन्न साक्षियों ने अपने–अपने बयान में भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। कंडिका–16 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने पर्यवेक्षण टिप्पणी में आवेदकगण के विरूद्ध कांड को सत्य पाया है। कंडिका–51 में सह अभियुक्त गोलू कुमार के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुये धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित है। सूचक की बहन सोनम कुमारी अभी तक बरामद नहीं हो पाई है तथा अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी है। अभिकथित अपराध महिला के विरूद्ध एवं गंभीर प्रकृति का है।

25.05.26

6. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता के वर्तमान प्रक्रम को देखते हुये आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत

लगातार
25.05.2026

नहीं होता है। तदनुसार, आवेदकगण मिट्ठु कुमार एवं प्रमिला देवी का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की प्रति एवं मूल अभिलेख विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब सम्प्रेषित करें।

लेखापित
Arun Kumar Sinha 25.05.26
(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर सत्र न्यायाधीश–IV
मुजफ्फरपुर